



पुलिस अधीक्षक बिजनौर द्वारा अवैध शराब की बिक्री/निर्माण की रोकथाम के दृष्टिगत चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत अपर पुलिस अधीक्षक नगर द्वारा चांदपुर सर्किल के कोतवाली चांदपुर में पुलिस टीम का गठन कर पीएसी फोर्स के साथ की गयी छापेमारी के दौरान दिनांक 27.06.2021 को अभियुक्त लोकेश उर्फ सुमेरा पुत्र हरकेश उर्फ मुन्नू निवासी ग्राम पहाडपुर थाना चांदपुर, जनपद बिजनौर को 100 लीटर कच्ची शराब, 1000 लीटर लाहन व शराब बनाने के उपकरण (भट्टी) सहित तथा अभियुक्त हरफूल पुत्र हरकिशन निवासी ग्राम सकतलपुर मिलक थाना चांदपुर जनपद बिजनौर को जंगल ग्राम सकतलपुर मिलक से 30 लीटर कच्ची शराब , करीब 400 लीटर लाहन व शराब बनाने के उपकरण सहित गिरफ्तार किया गया ।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता:-

1. लोकेश उर्फ सुमेरा पुत्र हरकेश उर्फ मुन्नू निवासी ग्राम पहाडपुर थाना चांदपुर जनपद बिजनौर
2. हरफूल पुत्र हरकिशन निवासी ग्राम सकतलपुर मिलक थाना चांदपुर जनपद बिजनौर

बरामदगी का विवरण:-

अभियुक्त लोकेश से- 100 लीटर कच्ची शराब, 1000 लीटर लाहन, शराब बनाने उपकरण (भट्टी)
अभियुक्त हरफूल से- 30 लीटर कच्ची शराब, 400 लीटर लाहन, शराब बनाने उपकरण (भट्टी)

अभियुक्त लोकेश उर्फ सुमेरा के विरुद्ध पंजीकृत अभियोग -

1. मु0अ0सं0 377/2021 धारा 60(2) आबकारी अधि0 थाना चांदपुर जनपद बिजनौर

अभियुक्त हरफूल के विरुद्ध पंजीकृत अभियोग -

1. मु0अ0सं0 378/2021 धारा 60(2) आबकारी अधि0 थाना चांदपुर जनपद बिजनौर

टीम का विवरण:-

श्री पंकज तोमर थाना प्रभारी चांदपुर

1. उ0नि0 श्री सतेन्द्र उज्ज्वल
2. उ0श्री0 श्री सुधीर कुमार
3. उ0नि0 श्री संदीप मलिक
4. का0 134 आर्यन कुमार
5. का0 1099 पंकज कुमार
6. का0 586 ओमकार सिंह
7. का0 902 जितेन्द्र कुमार
8. का0 1297 अनुज कुमार
9. का0 19 केशव
10. का0 63 कृष्णपाल सिंह





2021.06.27



2021.06.27

थाना स्योहारा— आज दिनांक 27.06.2021 को थाना स्योहारा पुलिस द्वारा अभियुक्तगण 1—ओमपाल सिंह पुत्र ठाकरे सिंह निवासी ग्राम खानपुर थाना स्योहारा 2—पतराम पुत्र अमर सिंह निवासी कश्मीरी पुरी थाना हीमपुर दीपा 3—गुलजार पुत्र इसरार निवासी मोहल्ला पीर का बाजार थाना स्योहारा 4—बिलाल पुत्र शमीम अहमद निवासी मोहल्ला पीर का बाजार थाना स्योहारा, बिजनौर को अंतर्गत धारा 151 सीआरपीसी में गिरफ्तार किया गया।



थाना नगीना देहात— आज दिनांक 27.06.2021 को थाना नगीना देहात पुलिस द्वारा थाना नगीना देहात पर पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 168/21 धारा 379 भादवि बनाम अज्ञात में प्रकाश में आये अभियुक्त फैजान पुत्र मोहम्मद हनीफ निवासी ग्राम हरीसिंह का भोगला थाना नगीना देहात, जनपद बिजनौर को चोरी की गई मोटरसाइकिल संख्या डीएल 01 एसवी 5084 के साथ गिरफ्तार किया गया अभियुक्त के कब्जे से एक आदद चाकू नाजायज बरामद हुआ। इस संबंध में थाना नगीना देहात पर मुकदमा अपराध संख्या 171/21 धारा 4/25 शस्त्र अधिनियम पंजीकृत किया गया।



प्रेस नोट थाना नजीबाबाद

पुलिस अधीक्षक बिजनौर द्वारा अवैध शराब की बिक्री/निर्माण की रोकथाम के दृष्टिगत चलाये जा रहे अभियान के दौरान थाना नजीबाबाद पुलिस द्वारा क्षेत्र से अभियुक्तगण 1-बलवन्त सिंह उर्फ बूटा सिंह पुत्र बलविन्दर सिंह निवासी तुमडिया ग्राम मालधन चौड थाना रामनगर जनपद नैनीताल उत्तराखण्ड 2-जसवेन्द्र सिंह पुत्र बलवन्त सिंह निवासी तुमडिया ग्राम मालधन चौड थाना रामनगर जनपद नैनीताल उत्तराखण्ड को गिरफ्तार किया गया है जिनके कब्जे से 200 ली० अवैध अपमिश्रित कच्ची शराब, एक मोटरसाईकिल अपाची रंग काला UK19A2729 बरामद किया गया है। उक्त अपराधी शातिर किस्म के हैं।

बरामदगी----

200 लीटर अवैध अपमिश्रित शराब

अभियुक्त का नाम –

1..बलवन्त सिंह उर्फ बूटा सिंह पुत्र बलविन्दर सिंह निवासी तुमडिया ग्राम मालधन चौड थाना रामनगर जनपद नैनीताल उत्तराखण्ड

2.जसवेन्द्र सिंह पुत्र बलवन्त सिंह निवासी तुमडिया ग्राम मालधन चौड थाना रामनगर जनपद नैनीताल उत्तराखण्ड

अपराधिक इतिहास अभियुक्त गण

1. मु०अ०सं० 321/2021 धारा 60(1)/72 आबकारी अधिनियम व 272 भादवि

गिरफ्तार करने वाली टीम –

व०उ०नि० श्री राजीव चौधरी थाना न०बाद

उ०नि० श्री विनोद कुमार थाना न०बाद

का० 2159 आकाश यादव थाना न०बाद

का० 1537 जितेश कुमार थाना न०बाद

का० 96 प्रदीप कुमार थाना न०बाद

का० 90 प्रदीप कुमार थाना न०बाद

का० 2142 प्रवीण कुमार थाना न०बाद

का० 1106 ईशु पवार थाना न०बाद

